न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 56/18 **निर्णय दिनांक– 31.10.2018**

1. सहीराम पति स्व. विद्यादेवी जाति मेघवाल निवासी चक 3 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. भूपराम
3. जगदीश प्रसाद
4. ओम प्रकाश
5. सरोज
6. विमला

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. विद्यादेवी चक 3 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर जरिये मु.आम रतनलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चक 6 पीआरएम दन्तौर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कोलायत दिनांक 29–12–2016

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासिनयॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–12–2016 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पूर्वज के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि चक 1—2 बीएसएमआर के मुरब्बा नम्बर 167/44 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट्स संख्या 1 की पत्नी एवं अपीलांट्स संख्या 2 ता 6 की माता विद्या देवी के नाम खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि विद्या देवी द्वारा दिनांक 15—11—2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूल आवंटी श्री जेताराम पुत्र रूघाराम उर्फ रूधनाथ निवासी सारूण्डा तहसील नोखा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। इस प्रकार अपीलांट्स की पत्नी/माता बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन है कि इस भूमि पर अवैध रुप से खनन जिप्सम का हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दी है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 175 व 177 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष का यह दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में खनन होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि खनन कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट्स द्वारा मौके पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर 12 बीघा पर अवैद्य खनन किया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की सम्पूर्ण भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलांट्स की पत्नी/माता जोकि आदेश जैर

अपील की दिनांक को मृत थी के विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने न्यायालय का ध्यान इस और आकषित करते हुए कथन किया गया प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अपीलांट्स की पत्नी/माता का स्वर्गवास दिनांक 20—04—2015 को ही हो चुका है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13—01—2016 को रजिस्टर्ड नोटिस की तामील मानते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में स्टेट की तरफ से दिनांक 01—02—2016 को दावा प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मृत व्यक्ति के विरूद्व की गई है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही विधि सम्मत है अथवा नहीं? व क्या जिसके विरूद्व कार्यवाही की जा रही है वह उक्त दिनांक को मौजूद भी है अथवा नहीं? इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही से यह तथ्य साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर व बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में जिन किलों पर अवैद्य खनन होना बताया जा रहा है उक्त किलों पर अपीलांट्स ने चने की फलस काश्त कर रखी है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट्स द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2071—72 की प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व साजिश करते हुए अवैध खनन की रिपोर्ट की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कतई जॉच नहीं की गई है कि क्या उक्त रिपोर्ट सही रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं? जबकि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि पर कभी भी खनन कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि आदेश जैर अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है, ऐसा आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात जिप्सम निकालनें का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुॅचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि वह मौके पर पहुॅचा, मौके पर कोई उपस्थित नहीं मिला। संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया व ना ही मौके के फोटोग्राफ आदि ही प्रस्तुत किये गये है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर

क्या वास्तव में खनन का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौके पर वास्तव में खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसका भी उल्लेख पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है।

(3) यहा यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार बज्जू के आदेश क्रमांक एलआर/2015/148 दिनांक 27—11—2015 की पालना में मौके पर पहुॅचा। इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर खनन किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य खनन किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। इन सभी से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने दायित्यों का भलींभांति निर्वहन नहीं किया गया है।

(4) वादगत् भूमि पूर्व में मूल आवंटी श्री जेताराम पुत्र रूघाराम उर्फ रूधनाथ को बतौर विशेष आवंटन में की गई थी। अदालत मातहत को तत्समय ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि क्या वादगत् भूमि काबिल काश्त भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा स्वमेव ऐसी भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है जो काबिल काश्त भूमि ना होकर भूमि की गर्भ में जिप्सम निहित था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि की श्रेणी की भूमि नहीं मानी जा सकती।

(5) इस संबंध में हमने माईनिंग रूल्स का भी अवलोकन किया। हमारे समाने यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि माईनिंग रूल्स 52 (3) में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है किः—

For extraction or removal of gypsum from agriculture land for improvement of land-

Notwithstanding anything contained in these rules] permit for excavation and removal of gypsum from the Khatedari land shall be granted to the Khatedar for improvement of his land after approval of the Committee consisting of (a) District Collector (b) Sub Divisional Officer of the area concered (c) Mining Engineer or Assistant Mining Engineer and (d) Senior Geologist or Geologist.

Provided that the committee shall not grant the approval where the deposition of the gypsum is more than two meter from the surface. Provided further that the approval shall not be granted for an area exceeding five hectare and for a period exceeding five years.

इस प्रकार उक्त नियम के अनुसरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि माईनिंग रूल्स के तहत भी ऐसे छोटे काश्तकारों की ऐसी भूमि जो काबिल काश्त नहीं है, पर नियमानुसार खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(6) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 175 व 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(7) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ही वादगत् भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि पटवारी रिपोर्ट स्वमेव में यह अंकित है कि अपीलांट को आवंटित वादगत् 24.10 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि पर अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिना वाद प्रक्रिया को अपनाये ही अपीलांट की 24.10 बीघा भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाना किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

(8) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खनन विभाग के प्रतिनिधि के साथ टीम गठित करते हुए मौका निरिक्षण किया जाना चाहिए था तथा आस—पड़ौस के व्यक्तियों के ब्यान व मौके के फोटोग्राम आदि लिये जाने चाहिए थे ताकि वादगत् भूमि के बाबत् सही स्थिति प्रकट हो सकती। अदालत मातहत द्वारा आनन—फानन में केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

(9) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादगत् भूमि की खातेदार विद्यादेवी का स्वर्गवास दिनांक 20—05—2015 को ही हो चुका था फिर दिनांक 01—02—2016 को मृत व्यक्ति के विरूद्व दावा संस्थित किया जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया जाना न्याय की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से यह भलींभाति साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही बिना जॉच करते हुए सम्पादित की गई। जिसे कानून की दृष्टि से सराहा नहीं जा सकता। चूंकि आदेश जैर अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया आदेश है जो कानूनी की दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन आदेश है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश दिनांक 29—12—2016 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर